कर्नाटक राज्य

बनाम

अन्नेगौड़ा

जुलाई 13, 2006

[न्यायाधिपति अशोक भान और न्यायाधिपति मार्कंडेय काटजू]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 242- धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने को अभियुक्त के खिलाफ इसी तरह के लेन-देन से जुड़े अन्य मामलों में मुकदमा पूरा होने तक स्थगित करना-आयोजितः धारा 313 के तहत अभियुक्त की धारा 242 के तहत प्रतिपरीक्षा को अन्य मामलों में मुकदमा पूरा होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है-यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि उसका बयान दर्ज किया जाता है तो उसे अपने बचाव का खुलासा करने की आवश्यकता होगी।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 के प्रावधानों के तहत धारा 313 के तहत अभियुक्त प्रतिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त के खिलाफ इसी तरह के लेनदेन से जुड़े अन्य मामलों में मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

- 1.1. दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा को अन्य विचारण के पूरा होने तक स्थगित करने में सक्षम बनाता है क्योंकि समान अपराधों के लिए एक ही अभियुक्त के खिलाफ कुछ अन्य आरोप पत्र दायर किए गए हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते हैं। [504-ई-एफ]
- 1.2. तत्काल मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ विभिन्न अविधयों से संबंधित 11 आरोप पत्र दायर किए गए हैं- केवल एक मामले में विचारण पूरा हो गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी की जांच के चरण में पहुंच गया है। प्रतिवादी आरोपी की आशंका है कि अगर उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया जाता है। अपने बचाव का खुलासा करने की आवश्यकता होगी और उस स्थिति में वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा उसके खिलाफ दायर अन्य मामलों का विचारण बिना किसी आधार और बुनियाद के है और 25 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और गवाहों से पहले ही वकील द्वारा जिरह की जा चुकी है क्योंकि यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि अपनी जिरह के दौरान आरोपीप्रतिवादी ने अपने बचाव का खुलासा किया होगा।

यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान अपने बचाव का खुलासा करने की आवश्यकता है। अभियुक्त के खिलाफ अन्य मामलों में आरोप भारतीय दंड संहिता के समान प्रावधानों के तहत हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं लेकिन दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं जिन्हें अंततः प्रत्येक मामले में अदालत द्वारा अलग से सराहना और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। [1504- ई ;504-एफ -एच ;505 - ए]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील सं.759/2006

(बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश आपराधिक याचिका संख्या 505/2003 में दिनांकित 11.2.2003)

अपीलार्थी की ओर से संजय आर. हेगड़े। प्रत्यर्थी के लिए ई. सी. विद्या सागर।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था न्यायाधिपति भान;

अनुमति दी गई।

कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है जिसमें और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण अदालतों के फैसले और आदेश को दरिकनार करते हुए विचारण अदालत को साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है। आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ 1993 से 2001 तक की विभिन्न अविधयों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 409,467,468,471 (ए) के तहत अभियुक्त-प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज ग्यारह मामलों में साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अक्टूबर, 1991 के पहले सप्ताह के दौरान, कर्नाटक राज्य सहकारी सिमित एपेक्स बैंक लिमिटेड (संक्षेप में "शिकायतकर्ता") ने बैंक की शाखाओं के निरीक्षण का एक कार्यक्रम तैयार किया और तत्कालीन आंतरिक लेखा परीक्षक को निर्देश दिया कि वह शाखाओं के खातों का निरीक्षण करे। आंतरिक लेखा परीक्षक ने 4.10.1991 को वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड द्वितीय चरण की शाखा का निरीक्षण किया और तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनसे पता चला कि 1.7.1981 से 4.10.1991 तक की अविध के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा कुल 5,13,50,629/- रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया था।

अभियुक्त-प्रत्यर्थी अन्नेगौड़ा के खिलाफ 11 मामले, अर्थात् सी. सं. 8055/93, सी.सी.सं. 8165/94, सी.सी.सं.8195/2000, सी.सी.सं. 8196/2000, सी.सी.सं. 8197/2000, सी. सी. सं. 8198/2000, सी. सी. सं. 8097/2001, सी. सी. सं. 8098/2001, सी. सी. सं. 8099/2001, सी. सी. सं. 8100/2001 और सी. सी. 8101/001 ये सभी मामले पंजीकृत थे-इन सभी मामलों में आरोपी प्रतिवादी ही मुख्य आरोपी है। इनमें से प्रत्येक

मामले में साक्ष्य प्रचुर मात्रा में है और आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले की सुनवाई धीमी होगी।

1993 के सी. सी. संख्या 8055 में, जो अब दलीलों के चरण में है, अभियुक्त अन्नेगौड़ा ने 2.8.2002 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत एक आवेदन दायर किया और अदालत से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग को स्थगित करने का अन्रोध किया. जब तक कि उसके खिलाफ अन्य सभी 10 मामले आरोपी के बयान के चरण तक नहीं पहंच जाते, विचारण अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ पीड़ित प्रतिवादी ने प्नरीक्षण अदालत के समक्ष 2002 की आपराधिक प्नरीक्षण याचिका संख्या 294 दायर की, जिसे 22.2.2003 को खारिज कर दिया गया था, इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी है और विचारण अदालत को उपरोक्त सभी मामलों में एक साथ स्नवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने और निपटाने का निर्देश जारी किया गया है। जहां तक संभव हो, एक ही समय में एक । प्रतिवादी की ओर से किया गया निवेदन स्वीकार कर लिया गया की उसे अपने बचाव का प्रस्ताव करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष को उन अन्य मामलों में कमियों को कवर करने मदद मिलेगी जो म्कदमे में लंबित है। यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 के तहत प्रदत्त शक्ति के कथित प्रयोग में जारी किया गया है,

जो विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार अदालत को महत्वपूर्ण गवाहों की जिरह को स्थगित करने का अधिकार देता है जब तक की अभियोजन पक्ष द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों की निष्पक्ष सुनवाई की जांच नहीं कर ली जाती।

पक्षों के वकील सुने गए है;

धारा 242 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XIX "वारंट का परीक्षण-मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले की सुनवाई" में अपनी जगह पाती है, जिसमें लिखा है:

- "242. अभियोजन के लिए साक्ष्य- (1) यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है, या मुकदमा चलाने का दावा करता है या मिजिस्ट्रेट धारा 241 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराते हुए मिजिस्ट्रेट गवाहों से पूछताछ के लिए एक तारीख तय करेंगे।
- (2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन पक्ष के आवेदन पर, अपने किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने का निर्देश देते हुए समन जारी कर सकता है।
- (3) इस प्रकार निर्धारित तिथि पर, मजिस्ट्रेट ऐसे सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा जो अभियोजन पक्ष के

समर्थन में पेश किए जा सकते हैं। बशर्ते कि मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा को तब तक स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं हो जाती है या किसी गवाह को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस नहीं ले लिया जाता है।"

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रावधान है खंड 1 में प्रावधान है, कि यदि अभिय्क्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है, या म्कदमा चलाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट धारा 241 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराता है तो मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह को समन जारी करने के लिए एक तारीख तय करेगा जो मजिस्ट्रेट को खंड (2) के तहत उपस्थित होने या किसी भी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को प्रस्त्त करने के लिए समन जारी करने के लिए अधिकृत है और खंड (3) के तहत निर्धारित तिथि पर मजिस्ट्रेट को ऐसे सभी साक्ष्य लेने का अधिकार अभियोजन पक्ष द्वारा इसके समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है परंतुक किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा को तब तक स्थगित करने की अनुमति देता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाह की पूछताछ नहीं की जाती है या किसी गवाह को आगे के प्रतिपरीक्षा के लिए वापस नहीं लिया जाता है- यह न तो अभियुक्त के खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने या आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों कि एक साथ सुनवाई से संबन्धित है। इससे पहले प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219

के साथ पठित धारा 312 के तहत आवेदन दायर किया था। इस मामले में मिजिस्ट्रेट को इस मामले के साथ 1994 के सी. सी. संख्या 8165 को जोड़ने और एक सामान्य सुनवाई आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी उक्त आवेदन 4.7.1994 को मिजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने xxiii, अपर सिविल और सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 75/1995 दायर की, जिन्होंने मामले की सुनवाई की और अपने निर्णय और आदेश दिनांक 15.7.1995 द्वारा इसे खारिज कर दिया, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले को जोड़ने और सामान्य सुनवाई आयोजित करने का कोई कारण नहीं था हालांकि, 1994 के सी. सी. संख्या 8165 के मुकदमे में तेजी लाने और यदि संभव हो तो इसे वर्तमान मामले के साथ-साथ से निपटाने का निर्देश दिया गया था।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी के खिलाफ विभिन्न अविधयों से संबंधित 11 आरोप पत्र दायर किए गए हैं। केवल एक मामले में मुकदमा पूरा हो चुका है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों से पूछताछ के चरण तक पहुंच गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा को स्थगित करने में सक्षम बनाता हो। अन्य मामलों में सुनवाई पूरी होने तक केवल इसलिए कि समान अपराधों के लिए उसी आरोपी के खिलाफ क्छ अन्य आरोप पत्र दायर किए गए हैं, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी की परीक्षा को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है। प्रतिवादी-अभिय्क्त की आशंका है कि यदि उसका बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया जाता है। उसे अपना बचाव प्रकट करना होगा और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ बिना किसी आधार और आधार के दायर किए गए अन्य मामलों की स्नवाई में पक्षपात किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम से कम 25 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा च्की है और अभियुक्तों के वकील द्वारा गवाहों से पहले ही जिरह की जा चुकी है। यह अन्मान लगाना उचित है कि अपनी जिरह के दौरान आरोपी-प्रतिवादी ने अपने बचाव में ख्लासा किया होगा।अभियुक्त की ओर से यह कथन कि उसे सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान ही अपना बचाव बताना होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य मामलों में अभियुक्त के खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता के समान प्रावधानों के तहत हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं लेकिन दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य भिन्न हो सकते हैं जिनकी अंततः अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में अलग से सराहना और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इसे न्यायिक संज्ञान में लिया जा सकता है। और यह ध्यान में रखा जा सकता है। कि अन्य दस आरोप पत्रों की सुनवाई को पूरा करने में कुछ और समय लग सकता है उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भौतिक रूप से गलती की है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 242 के प्रावधानों के तहत धारा 313 के तहत अभियुक्त-प्रतिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि आरोपी के खिलाफ इसी तरह के लेनदेन से जुड़े अन्य मामलों में मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।

उप्त बताए गए कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को दरिकनार कर दिया गया है उन अदालतों के फैसले को बहाल कर दिया गया है। विचारण न्यायालय अब कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है। एन.जे.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।